


## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों का उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन, नाम के सामने (कॉलम संख्या-04 में अंकित स्थान) से आहरण किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है : -

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय वर्तमान पदस्थापन	अवधि	स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	बृज मोहन खत्री, प्र.अ. रामावि, 4 एमएम भलूरी-बीकानेर	अप्रैल-16 से मई-16	रामावि 4 एमएम भलूरी-बीकानेर
2	दिलीप कुमार चौहान, प्राध्यापक, रा.उ.अ. शिक्षा संस्थान, अजमेर	जनवरी-16 एवं फरवरी-16	राउमावि, गगराना-मेडता, नागौर
3	गणेशलाल मीणा, प्र.अ. रामावि, भटेवर-उदयपुर	मई-16	रामावि, भटेवर-उदयपुर
4	चन्द्रमोहिनी शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि, जामडोली-टोंक	मार्च-15 से मार्च-16	राबाउमावि, दूनी-टोंक
5	कन्हैयालाल, प्रधानाचार्य, राउमावि, बिदारा-शाहपुरा-जयपुर	अक्टूबर-15	राउमावि, रोहिणा-नागौर
6	रमेश कुमार कुमावत, प्र.अ. रामावि, संतोषीनगर कबीर बस्ती, टोंक	मार्च-16 से जून-16	रामावि बालीता-कोटा
7	अनिल खिडीया, प्रोअओ सहायक परियोजना समन्वयक एसएसए जोधपुर	अगस्त-15 से सितम्बर-15	रामावि जियाबैरी, जोधपुर

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो नियमानुसार अवकाश प्रकरण का निस्तारण कर वेतन आहरण की कार्यवाही की जावे।




संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 21 जून 2016

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1,2/वेतन व्यवस्था/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जि.शि.अ. (माध्यमिक)
3. संबंधित संस्था प्रधान, प्रधानाचार्य राउमावि/ प्रधानाध्यापक-रामावि।
4. संबंधित कार्मिक
5. गार्ड फाइल



संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर